

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(सरकार का एक विधिक संस्थान)
उत्तर क्षेत्रीय समिति



NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)
Northern Regional Committee

फ-3/यूपी-32/99/ 10 33 8

दिनांक 9.9.99

आदेश

क्रिश्चन ट्रेनिंग कालेज लखनऊ को एल टी पाठ्यक्रम की 100 सीटों की मान्यता समिति कार्यालय के आदेश क्रमांक फ-3/यूपी-32/5730-5736 दिनांक 24.1.97 द्वारा प्रदान की गए थी। अब उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एल टी पाठ्यक्रम को बंद कर उसके स्थान पर वीएड पाठ्यक्रम खोलने की अनुमति प्रदान की है इस संबंध में उत्तर क्षेत्रीय समिति की 20 वी. बैठक में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में क्रिश्चन ट्रेनिंग कालेज, लखनऊ को एल टी पाठ्यक्रम के स्थान पर सत्र 99-2000 से वीएड पाठ्यक्रम 100 सीटों के साथ चलाने की अनुमति प्रदान की जाती है। संस्था राज्य सरकार के एक एल टी पाठ्यक्रम बन्द करने के आदेश में वर्णित औपचारिकताओं की पूर्ति करेगी एवं परिषद द्वारा वी एड पाठ्यक्रम की मान्यता हेतु निर्धारित मानदण्डों का पूर्णतः पालन करेगी। यदि संस्था मानदण्डों का पालन नहीं करती है तो संस्था के विरुद्ध परिषद अधिनियम एवं इनके अन्तर्गत जारी विनियमों/मानदण्डों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

प्रति,

प्राचार्य,
क्रिश्चन ट्रेनिंग कालेज,
लखनऊ

भवदीय

(डॉ. सत्यनारायण मेठी)
क्षेत्रीय निदेशक

1. शिक्षा सचिव, उ.प्र. शासन शासन सचिवालय, लखनऊ
2. सै. अमीर जाफर विशेष सचिव, शिक्षा अनुभाग-2 उच्च प्रदेश शासन, शासन सचिवालय, लखनऊ
3. निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद निशात गंज, लखनऊ
4. कुल सचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ